



# HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 29.03.2023

**प्रभावी पैरवी कर पोक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई-**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 28.03.2015 को थाना राठ, जनपद- हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 473/15 अन्तर्गत धारा 363 366 376(ज)ड़ आईपीसी व 04 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त 1) राजू पुत्र सेवाराम अहिरवार निवासी मोहल्ला गुलाब नगर थाना राठ जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई।